



**VAT/CST
EVADERS
we are
watching
you!**

Pay VAT
by
21st
of each month

**Crackdown
has begun!
Catch us before
we catch you**

VAT evaders are under watch for:

- ▶ Return Default
- ▶ Dealers claiming tax payment against bogus challans
- ▶ Unregistered dealers not paying due VAT & CST
- ▶ Builders/Collaborators/Developers with unpaid VAT on owner's share or own share of flats
- ▶ Work Contractors claiming excess deduction for labour/service
- ▶ Work contractors showing disproportionate use of declared goods
- ▶ Contractees not deducting/paying VAT TDS
- ▶ Dealers claiming concessional tax sales but C/F/E forms missing for 2009-10 & 2010-11
- ▶ Input tax credit (ITC) claim from non-existent/bogus dealers
- ▶ ITC benefit claimed against Cancelled/Composition dealers
- ▶ ITC claimed against purchase of consumables and schedule VII goods
- ▶ Dealers filing 2B but not filing return
- ▶ Dealers with turnover in return less than 2B figures
- ▶ Dealers with purchases in return different from 2A figures
- ▶ 2A-2B mismatch demand assessment cases
- ▶ Amount brought forward is more than carry forward in last return
- ▶ Dealers building stock with sales less than purchases
- ▶ Dealers having undeclared stock
- ▶ Dealers under audit/ special audit
- ▶ Dealers on whom enforcement survey conducted, etc.

On request last date for VAT Amnesty Scheme extended to 28th Feb 2014

This is your last opportunity to avail relief from interest, penalty & criminal prosecution

Dealers with appeals pending in Courts can also avail of VAT amnesty



Department of Trade & Taxes

VYAPAR BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002
<http://dvat.gov.in>



वैट/सीएसटी चोरी करने वालों पर हमारी नजर है!



हर माह
की
21 तारीख
तक
वैट का
भुगतान करें

धर पकड़ शुरू हो गई है!
हम पहुँचे आप तक,
उससे पहले,
आप पहुँचे हम तक

निम्न तरह के कर चोरी करने वाले हमारी निगाहों में है:

- ▶ विवरणी में चूक
- ▶ बोगस चालान पर कर भुगतान का दावा करने वाले डीलर
- ▶ गैर पंजीकृत डीलर जो देय वैट और सीएसटी का भुगतान नहीं करते
- ▶ मालिक के हिस्से या फ्लैट के अपने हिस्से पर भुगतान ना किए गए वैट के साथ बिल्डर / सहयोगी / डेवलपर
- ▶ श्रम / सेवा के लिए अतिरिक्त कटौती का दावा करने वाले कार्य संविदाकार
- ▶ घोषित वस्तुओं के गैर अनुपातिक उपयोग दर्शाने वाले कार्य संविदाकार
- ▶ वैट टीडीएस नहीं काटने / भुगतान करने वाले ठेकादाता
- ▶ रियायती कर बिक्री का दावा करने वाले डीलर किंतु 2009-10 एवं 2010-11 में सी/एफ/ई फॉर्म की अनुपस्थिति
- ▶ गैर मौजूद / बोगस डीलरों से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दावे
- ▶ रद्द / मिले जुले डीलरों के खिलाफ आईटीसी लाभ के दावे
- ▶ कन्ज्यूमेबल्स और अनुसूची 7 की वस्तुओं की खरीद पर आईटीसी के दावे
- ▶ 2बी जमा करने वाले किंतु विवरणी जमा नहीं करने वाले डीलर
- ▶ 2बी आंकड़ों से कम विवरणी में कारोबार वाले डीलर
- ▶ 2 ए आंकड़ों से अलग विवरणी में खरीद करने वाले डीलर
- ▶ 2 ए - 2 बी बेमेल मांग आकलन के मामले
- ▶ पिछली विवरणी में अग्रेषित राशि से अधिक आगे लाई गई राशि
- ▶ खरीद से कम बिक्री के स्टॉक बनाने वाले डीलर
- ▶ अघोषित स्टॉक वाले डीलर।
- ▶ ऑडिट / विशेष ऑडिट के तहत डीलर
- ▶ वे डीलर जिन पर प्रवर्तन सर्वेक्षण किया गया आदि।

व्यापक अनुरोध पर वैट एमनेस्टी योजना की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2014 तक बढ़ा दी गई है यह ब्याज, जुर्माने और आपराधिक मुकदमों से राहत पाने का आपके लिए अंतिम अवसर है

अदालतों में लंबित अपील वाले डीलर भी वैट एमनेस्टी का लाभ उठा सकते हैं



व्यापार एवं कर विभाग

व्यापार भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली - 110 002
<http://dvat.gov.in>